बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्रांक–16विनि०–51 / 2017 - 289 (वि॰प॰) / कृ०, पटना, दिनांक 21/03/2018

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
(*) द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

(*) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय :– कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), किशनगंज के बाजार प्रांगण में सड़क, चहारदिवारी, नाला, गेट एवं अन्य कार्य हेतु कुल 481.47 लाख (चार करोड़ एकासी लाख सैतालीस हजार) रूपये की लागत से जीर्णोद्धार / निर्माण कार्य के कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत ।

कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), किशनगंज के बाजार प्रांगण में सड़क, चहारदिवारी, नाला, गेट एवं अन्य कार्य हेतु कुल 481.47 लाख (चार करोड़ एकासी लाख सैतालीस हजार) रूपये की लागत से जीर्णोद्धार / निर्माण कार्य के कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का उद्देश्य कृषि बाजार समिति के प्रांगण में कृषकों द्वारा उत्पादित फसल उपज को लाभकारी मूल्य प्राप्ति हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना है एवं बाजार समिति प्रांगण को विकसित किया जाना है। इससे किसानों को बाजार समिति के प्रांगण में फसल उपज लाने, भंडारित करने एवं बेचने में सुविधा प्राप्त होगी। तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन (अनुसूची–1) अनुरूप राशि पर ही प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा।

3. बाजार समिति परिसर अवस्थित सड़क, चहारदिवारी, नाला, गेट एवं अन्य जिर्णोद्धार / निर्माण कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, किशनगंज द्वारा तैयार प्राक्कलन को 481.47 लाख (चार करोड़ एकासी लाख सैतालीस हजार) रूपये की तकनीकी अनुमोदन पत्रांक–276, दिनांक–02.02.2018 को मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा प्रदान की गई है। कार्य योजना का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	योजनाओं का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू०)
01	पी०सी०सी० सड़क	209.50674
02	चहारदिवारी	137.66013
03	नाला	41.74693
04	मुख्य द्वार	3.64388
05	क्रॉस नाला	14.36640
06	किसान शेड	8.96998
07	गोदाम की मरम्मति	19.31917
08	शौचालय	20.14130
09	गार्ड कक्ष	2.05538
10	हैण्ड पम्प	1.02500
11	शिलापट्ट	0.06598
12	साईन बोर्ड	0.04019
	कुल :–	**458.54108**
	आकस्मिकता :–	22.92705
	कुल योग :–	481.46813
	अथवा कुल राशि :–	**481.47000**

Development Bazar Samiti Kishanganj (Mithilesh)

4. यह राशि भवन निर्माण विभाग के मांग संख्या–3 में उपलब्ध है। स्वीकृत राशि की निकासी, भवन निर्माण विभाग द्वारा कर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पी०एल० खाता संख्या–238 में पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर BTC - 46 पर की जायेगी। योजना के निर्माण कार्य का अनुमंडल पदाधिकारी–सह–विशेष पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा तथा समय–समय पर जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, कृषि निदेशक–सह–प्रशासक होंगे। इस कार्य को राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा कराया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश सं०–3118 दिनांक–03.07.2015 के माध्यम से रू0 6.93750 लाख तथा स्वीकृत्यादेश 3300 दिनांक–27.07.2016 के माध्यम से रू0 4.722 लाख उपर्युक्त बाजार समिति किशनगंज को चहारदिवारी के घेराबंदी के निर्माण/मरम्मति हेतु स्वीकृत की गयी थी। इस प्रकार एक ही काम के लिये उपर्युक्त प्रस्ताव के अतिरिक्त विगत दो वित्तीय वर्षो में भी उक्त वर्णित राशि स्वीकृत की गयी थी। कार्य का दोहराव न हो इसके लिये पूर्व में किये गये कार्यो को छोडकर शेष कार्यो को करने पर ही विचार किया जाना उचित होगा।

6. बजट शीर्ष एवं बजट उपबंध निम्न प्रकार है, (राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय मांग संख्या–03, उप मुख्य शीर्ष 01–कार्यालय भवन, लघु शीर्ष–051– निर्माण, उपशीर्ष–0119– कृषि कार्यालय भवन, विपत्र कोड 03–4059010510119 विषय शीर्ष 53.01 मुख्य निर्माण कार्य	7247.58	399.6201
मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय मांग संख्या–03, उप मुख्य शीर्ष 01–कार्यालय भवन, लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0102–कृषि कार्यालय भवन, विपत्र कोड 03–4059017890102 विषय शीर्ष 53.01 मुख्य निर्माण कार्य	1832.98	77.0352
मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, मांग संख्या–03, उप मुख्य शीर्ष 01–कार्यालय भवन, लघु शीर्ष–796– जनजाति क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–0105– कृषि कार्यालय भवन, विपत्र कोड 03–4059017960105 विषय शीर्ष 53.01 मुख्य निर्माण कार्य	114.56	4.8147
कुल योग :–	**9195.12**	**481.4700**

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना की स्वीकृति में प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या–16विनि०–51/2017 के पृष्ठ सं०–06/टि० पर दिनांक–27.02.2018 को प्राप्त है।

8. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

9. राज्यादेश प्रारूप मे आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–16विनि०–51/2017 के पृष्ठ सं०–11/टि० पर दिनांक–19.03.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20.3.2018

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–16विनि०–51/2017 – 289 (वि०प०) /कृ०, पटना, दिनांक 21/03/2018

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.3.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

Development Bazar Samiti Kishanganj (Mithilesh)